न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 66/2016

अंजू देवी बनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

9.3.17

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील अपीलार्थी अंजू देवी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1295–1 दिनांक 29.09.14 द्वारा अपीलार्थी के अपील वाद को खारीज किये जाने के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि सोनवर्षा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत परड़िया के चिल्लाराही वार्ड नंबर– 5 के ऑगनबाड़ी केन्द्र 183 के सेविका पद के लिए 2013 में विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें अपीलार्थी सहित पॉच अन्य यथा 1. अंजू देवी 2. शिल्पी कुमारी, 3. शोभा कुमारी, 4. ममता कुमारी, 5. रेखा कुमारी एवं 6. कुमारी सुनिता ने आवेदन किया। आवेदन प्राप्ति के बाद संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा 10.08.2013 को मेधा सूची तैयार की गयी है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक–3 पर था तथा कुल प्राप्तांक 55% था, जबकि प्रतिपक्षी– 4 जिसका क्रमांक 4 था को क्रमांक 5 पर जिन्हें 52.02% था एवं अन्य अभ्यर्थियों का उनके प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची में स्थान मिला। आम सभा के लिए निर्धारित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सचिव के रूप में तथा अनु0जाति के पदाधिकारी की अनुपस्थिति में आहूत की गयी। अपीलार्थी उच्चतम अंक प्राप्ति संबंधी सभी प्रमाण–पत्रों के साथ आम सभा में उपस्थित थी। चयन समिति द्वारा मार्गदर्शिका में प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए प्रतिपक्षी–4 ममता कुमारी को 50% अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अंक देकर अवेध मेधा सूची तैयार किया गया। अपीलार्थी का यह भी आरोप है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्र में निहित ओदश पर जाली विकलांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर 5% बोनस अंक प्रतिपक्षी के नाम जोड़ा गया है। 16.11.2013 का तैयार मेधा सूची पर चयन समिति के अध्यक्ष का भी हस्ताक्षर नहीं हे जो इसकी वैधता को अनियमित बतलाता है। अपीलार्थी ने इस चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शिकायत की थी, जिसपर ऑगनबाड़ी वाद 32/2013 में 22.09.14 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के आवेदन को खारीज कर दिया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित उक्त आदेश को अवैध बताते हुए अपीलार्थी ने पारित आदेश को रद्ध कर तत्काल इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचना की है।

प्रतिपक्षी ममता कुमारी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखील अपील वाद तथ्यहीन, भ्रामक तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने के उद्धेश्य से गलत रूप से लाभ लने के उद्धेश्य के लिए दाखिल किया गया है, जो खारीज योग्य है। प्रतिपक्षी का कहना है कि मेधा सूची प्रकाशन के तीन दिनों के अन्दर मार्गदर्शिका की कंडिका 7.3 के मुताबिक आपत्ति सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र समर्पित किये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इसे नजर अंदाज कर दिया गया। फलतः प्रतिपक्षी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष विकलांगता प्रमाण–पत्र के साथ 14.11.13 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शिकायत की एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 2025–1 दिनांक 14.11.13 के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में प्रतिपक्षी के मेधा अंक में 5% विकलांगता का अंक जोड़ा गया। फलतः प्रतिपक्षी का कुल मेधा अंक 52.2 + 5.00 = 57.2 हुआ जबकि अपीलार्थी का मेधा अंक 55.8% है। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि पोषक क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग वाहुल्य घोषित किया गया। क्रमांक 4 की आवेदिका शोभा कुमारी एवं 6 की आवेदिका राधा कुमारी के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से रहने के बावजूद उनका उम्र कम रहने के कारण चयन पर विचार नहीं किया गया। वर्ग वाहुल्य से अन्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण मार्गदर्शिका की कंडिका 7.1 के अनुसार अुन0 जाति के आवेदिका पर विचार किया जाना था। पॉच अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग से था, जिसमें क्रमांक– 2 की अभ्यर्थी शिल्पी कुमारी पोषक क्षेत्र से बाहर की थी तथा आम सभा से अनुपस्थित भी। क्रमांक–1 की अभ्यर्थी अंजू कुमारी भी पोषक क्षेत्र से बाहर की थी। तत्पश्चात् बचे तीन अभ्यर्थी क्रमांक 3. अंजू कुमारी, क्रमांक 4. सुनीता कुमारी एवं क्रमांक 5. ममता कुमारी का क्रमशः मेधा अंक 55.8, 52.56 एवं 57.2 प्रतिशत था। प्रतिपक्षी ममता कुमारी का मेधा अंक सबसे अधिक रहने के कारण इनका चयन किया गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा के ज्ञापांक 689 दिनांक 30.11.13 द्वारा चयन पत्र निर्गत किया गया जो विल्कुल सही है एवं अपीलार्थी का अपील खारीज योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत 04.12.13 को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 3466 दिनांक 12.12.13 के आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक 29 दिनांक 07.01.14 द्वारा निर्गत सूचना में कहा गया कि ममता कुमारी को विकलांगता प्रमाण–पत्र इस संस्था से निर्गत नहीं है, तथा उनके संस्था में संधारित अभिलेख में ममता देवी का कही भी नाम दर्ज नहीं है। अग्रतर यह भी प्रतिवेदित है कि किस मेडिकल ऑफिसर

9.3.17

इनचार्ज/मेडिकल ऑफिसर का विकलांगता प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर है, कहना असंभव है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित पत्रों एवं विकलांगता प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति संलग्न की गयी है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

9.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

9.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 517-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 30-03-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

30/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

30.3.17